

:- आदेश :-

निम्नलिखित चिकित्सक जिनको आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर नियुक्ति प्रदान की गई थी ने अपने पदस्थापन स्थान में स्थानांतरण हेतु निवेदन किया। इन चिकित्सकों के स्थानांतरण पर विचार किया जाना संभव नहीं है:-

क्रम सं०	चिकित्सक का नाम	पदस्थापन स्थान
1	डा० सुखदेव सिंह महला	सा० स्वा० केन्द्र बेडा, पाली
2	डा० अशोक कुमार कुमावत	सा० स्वा० केन्द्र मेडता सिटी, नागौर
3	डा० कमलेश कुमार शर्मा	जिला अस्पताल भीलवाडा
4	डा० योगिता सक्सैना	सा० स्वा० केन्द्र बीदासर चुरू
5	डा० संतोष कौशिक	वाई एन अस्पताल किशनगढ अजमेर
6	डा० नवदीप सिंह	जिला अस्पताल बून्दी
7	डा० नितेश चन्द्र तोपडा	सा० स्वा० केन्द्र अनुपगढ (सिवांगर)
8	डा० श्रीराम कटारिया	जिला अस्पताल पाली
9	डा० अशोक सिंह	जिला अस्पताल जालौर
10	डा० आनन्द गोदारा	सा० स्वा० केन्द्र पोकरण जैसलमेर
11	डा० राम बाबु	प्रा० स्वा० केन्द्र जामडौली अलवर
12	डा० सुनील कुमार ऐरन	जनाना अस्पताल अलवर
13	डा० वर्षा सोनी	जिला अस्पताल बारा
14	डा० अजित कुमार	जिला अस्पताल भरतपुर
15	डा० रणजीत सिंह बेनीवाल	सामु०स्वा०केन्द्र छानी बडी, (हनुमानगढ)
16	डा० दिलीप कुमार सोनी	प्रा०स्वा०केन्द्र पाटन (भीलवाडा)
17	डा० हर्ष जैन	जिला अस्पताल प्रतापगढ
18	डा० योगेन्द्र सिंह धाकड	सामु०स्वा०केन्द्र भिडर (उदयपुर)

अतः उपरोक्त चिकित्सकों में से जिन चिकित्सकों द्वारा प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है को नोटिस दिया जाता है कि वे अपने नव नियुक्ति के पदस्थापन स्थान पर आदेश जारी होने की दिनांक से सात दिवस के भीतर-भीतर कार्यग्रहण करलें अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। नियुक्ति की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

ये आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदनोपरांत जारी किये जाते हैं।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-2), राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि उपरोक्त चिकित्सकों के कार्यग्रहण करने वाले चिकित्सकों की दिनांक सहित एवं कार्यग्रहण नहीं करने वाले चिकित्सकों की सूचना तुरंत फैंक्स द्वारा निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
6. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
7. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर रूम मुख्यालय।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।